संख्या-11/1028(6)/12-5-2015-55/2015

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2015

विषय:कृषि निदेशालय के 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 03 बोलेरो को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0/545/वाहन/2015-16, दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में 03 निष्प्रयोज्य डीजल जीपों संख्या-यू0पी0-34-3281, यू0टी0डी0-8701 तथा यू0पी0-40-2075 के स्थान पर 03 बोलेरो प्रति वाहन रू0 6,44,886/- की दर से मॉडल संख्या-बी0ओ0एल0एस0एल0ई02डब्लू0डी0बी0एस04ए0सी0 को डी0जी0 एस0 एण्ड डी0 की दरों पर क्रय किये जाने एवं उसके सापेक्ष होने वाले व्यय को वहन करने हेतु मानक मद-14 में प्राविधानित धनराशि रू0 2000 हजार के सापेक्ष रू0 19,34,658/- (रू0 उन्नीस लाख चौतिस हजार छः सौ अट्ठावन मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- गाडियों के क्रय के पश्चात उनके आवंटन पर विचार किया जायेगा।

3- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

4- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

5- वाहनों के क्रय में समय-समय पर निर्गत क्रय संबंधी समस्त सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-714(I)/दस-2015, दिनांक 18-12-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1028(6)/12-5-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।